भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1765

दिनांक, 08.03.2016/18 फाल्गुन, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

भाषाओं का शामिल किया जाना

†1765. **श्री चरणजीत सिंह रोड़ी**:
श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ख) संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं के राज्य-वार नाम क्या है;

(ग) हरियाणवी और राजस्थानी सहित संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल किए जाने के लिए राज्यों और विभिन्न संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों/अनुरोधों और अभ्यावेदनों का राज्य और भाषा-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है और इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री किरेन रिजिजू**)

(क): **संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के लिए कोई स्थापित वस्तुपरक मानदंड नहीं है।**

(ख): **संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित** 22 **भाषाओं को शामिल किया गया है**:

(1) **असमिया**, (2) **बंगाली**, (3) **बोडो**, (4) **डोगरी**, (5) **गुजराती**, (6) **हिन्दी**, (7) **कन्नड**, (8) **कश्मीरी**, (9) **कोंकणी**, (10) **मैथिली**, (11) **मलयालम**, (12) **मणिपुरी**, (13) **मराठी**, (14) **नेपाली**, (15) **उडिया**, (16) **पंजाबी**, (17) **संस्कृत**, (18) **संथाली**, (19) **सिंधी**, (20) **तमिल**, (21) **तेलगू** (22) **उर्दू।**

(ग) और (घ): **वर्तमान में, संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी सहित** 38 **अतिरिक्त भाषैओं को शामिल करने की मांग की गई है। ये निम्नलिखित है**:

.....2/-

(1) **अंगिका**, (2) **बंजारा**, (3) **बाजिका**, (4) **भोजपुरी**, (5) **भोटी**, (6) **भोटिया**, (7) **बुंदेलखंडी** (8) **छत्तीसगढ़ी**, (9) **धातकी**, (10) **अंग्रेजी**, (11) **गढ़वाली (पहाड़ी)**, (12) **गॉडी**, (13) **गुज्जर/गुज्जरी**, (14) **हो**, (15) **कचाछी**, (16) **कामतापुरी**, (17) **कारबी**, (18) **खासी**, (19) **कोडावा (कूर्ग)**, (20) **कोक बराक**, (21) **कुमाउंनी (पहाड़ी)**, (22) **कुर्ख**, (23) **कुर्माली**, (24) **लेप्चा**, (25) **लिंबू**, (26) **मिजो(लुशाई)**, (27) **मगही**, (28) **मुंदरी**, (29) **नागपुरी**, (30) **निकोबारी**, (31) **पहाड़ी(हिमाचली)**, (32) **पाली**, (33) **राजस्थानी**, (34) **संभलपुरी/कोसली**, (35) **शौरसेनी (प्राकृत)**, (36) **शिरायकी**, (37) **तेंयदी और** (38) **तूलू।**

आंठवी अनुसूची में हरियाणवी भाषा को शामिल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने संबंधी कोई स्थापित वस्तुपरक मानदण्ड नहीं हैं, इसलिए, संविधान की आठवीं अनुसूची में अतिरिक्त भाषाओं को शामिल करने संबंधी मांगों पर विचार करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

*****